रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72 REGISTERED No. D(D).72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 1978/माघ 11, 1899
No. 42] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 1978/MAGHA 11, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1978

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 59(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 15 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अनुसरण में, भारत सरकार के राजस्व

विभाग की अधिसूचना सं. 1 सीमा-शुल्क सा. का. नि. सं. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की अनुसूची में,—

क्र सं. 4 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
4	कनाडा के डालर	13.46

[सं. 27-सी. शु./फा. सं. 503/1/78-सी. शु. 6]

ए. बोर्डिया, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 1978

CUSTOMS

G.S.R. 59(E).—In pursuance of the clause (a) of sub-section (3) of Section 15 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 1-Cus. G. S. R. No. 1(E) dated the 1st January, 1978, namely :—

In the Schedule below the said notification,—

For Serial No. 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
4	Canadian Dollars	13.46

[No. 27-Cus/F. No. 503/1/78-Cus. VI]

A. BORDIA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978